appointed by the President under Article 239 of the Constitution;

(j) "Supreme Court Legal Services Committee" means the Supreme Court Legal Services Committee constituted under section 3-A;

(k) "Taluk Legal Services Committee" means a Taluk Legal Services Committee constituted under secton 11-A.

2. Any reference in this Act to any other enactment or any provision thereof shall, in relation to an area in which such enactment or provision is not in force, be construed as a reference to the corresponding law or the relevant provision of the corresponding law, if any, in force in that area.

CHAPTER II

THE NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

Constitution of the National Legal Services Authority

3. 1. The Central Government shall constitute a body to be called the National Legal Services Authority to exercise the powers and perform the functions conferred on, or assigned to, the Central Authority under this Act.

2. The Central Authority shall consist of-

(a) The Chief Justice of India who shall be the Patron-in-Chief;

(b) A serving or retired Judge of the Supreme Court to be nominated by the President, in consultation with the Chief Justice of India, who shall be the Executive Chairman; and

(c) Such number of other members, possessing such experience and

(छ) "स्कीम" से केन्द्रीय प्राधिकरण, किसी राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के किसी उपबन्ध को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए तैयार की गई कोई स्कीम अभिप्रेत है,

(ज) "राज्य प्राधिकरण" से धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है,

(झ) "राज्य सरकार" के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक भी है,

(ञ) "उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति" से धारा 3 क के अधीन गठित उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है,

(ट) "तालुक विधिक सेवा समिति" से धारा 11क के अधीन गठित तालुक विधिक सेवा समिति अभिप्रेत हैं।

2. इस अधिनियम में किसी अन्य अधिनियमित या उसके किसी उपबन्ध के प्रति निर्देश का, किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसमें ऐसी अधिनियमित या ऐसा उपबन्ध नहीं हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत तत्स्थानी विधि या तत्स्थानी विधि के सुसंगत उपबन्ध के, यदि कोई हो, प्रति निर्देश है।

अध्याय 2

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन

3. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण को प्रदत्त या समनुर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय गठित करेगी, जिसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण कहा जाएगा।

(2) केन्द्रीय प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :-

qualifications, as may be prescribed by the Central Government, to be nominated by that Government in consultation with the Chief Justice of India.

3. The Central Government shall, in consultation with the Chief Justice of India, appoint a person to be the Member-Secretary of the Central Authority, possesing such experience and qulaifications as may be prescribed by that Government, to exercise such powers and perform such duties under the Executive Chairman of the Central Authority as may be prescribed by that Government or as may be assigned to him by the Exevutive Chairman of that Authority.

4. The Terms of office and other conditions relating thereto, of members and the Member-Secretary of the Central Authority shall be such as may be prescribed by the Central Government in consultation with the Chief Justice of India.

5. The Central Authority may appoint such number of officers and other employees as may be prescribed by the Central Government, in consultation with the Chief Justice of India, for the efficient discharge of its functions under this Act.

6. The officers and other employees of the Central Authority shall be entitled to such salary and allowances and shall be subject to such other conditions of service as may be prescribed by the Central Government in consultation with the Chief Justice of India.

7. The administrative expenses of the Central Authority, including the salaries, allowances and pensions payable to the Member Secretary, officers and other employees of the

(क) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, जो मुख्य संरक्षक होगा,

(ख) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो कार्यपालक अध्यक्ष होगा और

(ग) उतने अन्य सदस्य जिनके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं और जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उस सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं।

3. केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के अधीन, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए जो उस सरकार द्वारा विहित किए जाएं या जो उस प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा उसे समनुर्दिष्ट किए जाएं, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगी, जिसके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हों, जो उस सरकार द्वारा विहित की जाएं।

4. केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्यों और सदस्य सचिव की पदावधियां और उनसे संबंधित अन्य शर्तें वे होंगी, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

5. केन्द्रीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा, जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित किए जाएं।

6. केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाएं।

7. केन्द्रीय प्राधिकरण के प्रशासनिक व्यय, जिनके अन्तर्गत

Central Authority, shall be defrayed out of the Consolidated Fund of India.

8. All orders and decisions of the Central Authority shall be authenticated by the Member-Secretary or any other officer of the Central Authority, duly authorised by the Executive Chairman of that Authority.

9. No act or proceeding of the Central Authority shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy in, or any defect in the constitution of, the Central Authority.

Supreme Court Legal Services Committee

3A. 1. The Central Authority shall constitute a committee to be called the Supreme Court Legal Services Committee for the purpose of exercising such powers and performing such functions as may be determined by regulations made by the Central Authority.

2. The Committee shall consist of-

(a) a sitting Judge of the Supreme Court who shall be the chairman; and

(b) such number of other members possessing such experience and qualifications as may be prescribed by the Central Government, to be nominated by the Chief Justice of India.

3. The Chief Justice of India shall appoint a person to be the Secretary to the committee, possessing such experience and qualifications as may be prescribed by the Central Government.

4. The terms of office and other conditions relating thereto, of the members and Secretary of the Committee shall be such as may be determined by regulations made by the Central Authority.

5. The Committee may appoint such number of officers and other employees as may be

केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन भी है, भारत की संचित निधि में से अदा किए जाएंगे।

8. केन्द्रीय प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय सदस्य-सचिव द्वारा या उस प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत उक्त प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

9. केन्द्रीय प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि केन्द्रीय प्राधिकरण में कोई पद रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति

3क. (1) केन्द्रीय प्राधिकरण, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए जो केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित किए जायेंगे, एक समिति का गठन करेगा जिसे उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति कहा जाएगा।

(2) यह समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे :-

(क) उच्चतम न्यायालय का एक आसीन न्यायाधीश जो अध्यक्ष होगा, और

(ख) उतने अन्य सदस्य जिनके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हों जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(3) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति इस समिति के सचिव के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(4) समिति के सदस्यों और सचिव की पदावधियां और उनसे संबंधित अन्य शर्तें वे होंगी, जो केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं।

prescribed by the Central Government, in consultation with the Chief Justice of India, for the efficient discharge of its functions.

6. The officers and other employees of the Committee shall be entitled to such salary and allowances and shall be subject to such other conditions of service as may be prescribed by the Central Government in consultation with the Chief Justice of India.

Functions of the Central Authority

4. The Central Authority shall perform all or any of the following functions, namely :-

(a) lay down policies and principles for making legal services available under the provisions of this Act;

(b) frame the most effective and economical schemes for the purpose of making legal services available under the provisions of this Act;

(c) utilise the funds at its disposal and make appropriate allocations of funds to the State Authorities and District Authorities;

(d) take necessary steps by way of social justice litigation with regard to consumer protection, environmental protection or any other matter of special concern to the weaker sections of the society and for this purpose, give training to social workers in legal skills;

(e) organise legal aid camps, especially in rural areas, slums, or labour colonies with the dual purpose of educating the weaker sections of the society as to their rights as well as encouraging the settlement of disputes through Lok Adalats;

(f) encourage the settlement of disputes by way of negotialtions, arbitration and conciliation;

(g) undertake and promote research in the field

(5) समिति अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी, जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत सरकार के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित किए जाएं।

(6) समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाएं।

केन्द्रीय प्राधिकरण के कृत्य

4. केन्द्रीय प्राधिकरण, अग्रलिखित सभी या उनमें से किसी कृत्य का पालन करेगा अर्थात् :-

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए नीतियां और सिद्धान्त अधिकथित करना,

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए अत्यधिक प्रभावी और कम खर्चीली स्कीमें तैयार करना,

(ग) उसके व्ययनाधीन निधि का उपयोग करना और राज्य प्राधिकरणों तथा जिला प्राधिकरणों को निधि का आवंटन करना,

(घ) उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण सरंक्षण का समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष महत्व वाले किसी अन्य विषय के संबंध में सामाजिक न्याय संबंधी मुकदमें के रूप में आवश्यक कदम उठाना और इसके लिए सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को विधि कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करना,

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों, गंदी बस्तियों या श्रमिक कॉलोनियों में समाज के कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों तथा साथ ही लोक अदालतों के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षित प्रयोजन करने के दोहरे प्रयोजन से विधिक सहायता कैम्प आयोजन करना।

(च) बातचीत, माध्यस्थम और सुलह के द्वारा विवादों का

of legal services with special reference to the need such services among the poor;

(h) to do all things necessary for the purpose of ensuring commitment to the fundamental duties of citizens under Part IVA of the Constitution;

(i) monitor and evaluate implementation of the legal aid programmes at periodic intervals and provide for independent evaluation of programmes and shcemes implemented in whole or in part by funds provided under this Act;

(j) provide grants-in-aid for specific schemes to various voluntary social service institutions and the State and District Authorities, from out of the amounts placed at its disposal for the implementation of legal services schems under the provisions of this Act;

(k) develop, in consultation with the Bar Council of India, programmes for clinical legal education and promote guidance and supervise the establishment and working of legal services clinics in universities, law colleges and other institutions;

(l) take appropriate measures for spreading legal literacy and legal awareness amongst the people and, in particular, to educate weaker sections of the society about the rights benefits and privileges guaranteed by social welfare legislations and other enactments as well as administrative programmes and measures;

(m) make special efforts to enlist the support of voluntary social welfare institutions working at the grass-root level, particularly among the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, women and rural and urban labour; and

(n) co-ordinate and monitor the functioning of

निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित करना,

(छ) विधिक सेवाओं के क्षेत्र में निर्धनों के बीच ऐसी सेवाओं की आवश्यकता के विशेष संदर्भ में अनुसंधान करना और उसका संवर्धन करना,

(ज) संविधान के भाग 4-क के अधीन नागरिकों के मूल कर्त्तव्यों के प्रति वचनबद्धता सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक बातें करना,

(झ) कालिक अंतराल पर विधिक सहायता कार्यक्रम के कार्यान्वयन को मॉनीटर करना और उसका मूल्यांकन करना और इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित निधि से पूर्णतः या भागतः क्रियान्वित कार्यक्रमों और स्कीमों के स्वतंत्र मूल्यांकन की व्यवस्था करना,

(ञ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिक सेवा संबंधी स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए उसके व्ययनाधीन रखी गई रकमों में से विभिन्न स्वैच्छिक समाज सेवा संस्थाओं और राज्य तथा जिला प्राधिकरणों को विनिर्दिष्ट स्कीमों के लिए सहायता अनुदान देना,

(ट) भारतीय विधिज्ञ परिषद से वैज्ञानिक विधिक शिक्षा कार्यक्रमों का विकास करना और मार्गदर्शन का संवर्द्धन करना तथा विश्वविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में विधिक सेवा क्लिनिकों की स्थापना और उनके कार्यकरण का पर्यवेक्षण करना,

(ठ) लोगों के बीच विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता के प्रसार और विशिष्टतः समाज के कमजोर वर्गों को, सामाजिक कल्याण विधानों और अन्य अधिनियमितियों द्वारा गारन्टी किए गए अधिकारों, फायदों और विशेषाधिकारों के बारे में साथ ही साथ प्रशासनिक कार्यक्रमों और अभ्युपायों के बारे में शिक्षित करने के लिए उपयुक्त उपाय करना,

(ड) मूलभूत स्तर पर, विशिष्टतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, स्त्रियों और ग्रामीण तथा शहरी श्रमिकों के बीच कार्यरत स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संस्थाओं का

State Authorities, District Authorities, Supreme Court Legal Services Committee, High Court Legal Services Committees, Taluk Legal Service Committees and voluntary social services institutions and other legal services organisations and give general directions for the proper implementation of the legal service programmes.

Central Authority to work in co-ordination with other agencies

5. In the discharge of its functions under this Act, the Central Authority shall, wherever appropriate, act in co-ordination with other governmental and non-governmental agencies, universities and other engaged in the work of promoting the cause of legal services to the poor.

CHAPTER III

STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

Constitution of State Legal Services Authority

6. 1. Every State Government shall constitute a body to be called the Legal Services Authority for the State to exercise the powers and perform the functions conferred on, or assigned to, a State Authority under this Act.

2. A State Authority shall consist of -

(a) the Chief Justice of the High Court who shall be the Patron-in-Chief;

(b) a serving or retired Judge of the High Court, to be nominated by the Governor, in consultation with the Chief Justice of the High Court, who shall be the Executive Chairman; and

(c) such number of other members, possessing such experience and

समर्थन प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करना, और

(ढ) राज्य प्राधिकरणों, जिला प्राधिकरणों, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, तालुक विधिक सेवा समितियों और स्वैच्छिक समाज सेवा संस्थाओं और अन्य विधिक सेवा संगठनों के कार्यकरण को संभावित और मॉनीटर करना और विधिक सेवा कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन के लिए साधारण निर्देश देना।

केन्द्रीय प्राधिकरण का अन्य अभिकरणों के समन्वय से कार्य करना

5. केन्द्रीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में जहां भी उपयुक्त हो, अन्य सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरणों, विश्वविद्यालयों और निर्धनों के विधिक सेवा के उद्देश्य के संवर्द्धन के कार्य में लगी अन्य (संस्थाओं) के समन्वय से कार्य करेगा।

अध्याय 3

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन

6. 1. प्रत्येक राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण को प्रदत्त या समनुर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन करेगी जिसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कहा जाएगा।

2. राज्य प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा -

(क) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, जो मुख्य संरक्षक होगा।

(ख) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राज्यपाल द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय का एक सेवारत या सेवा निवृत्त न्यायमूर्ति जो कार्यपालक अध्यक्ष होगा, और